वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 18.10.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, आज," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

हिन्दुस्तान –दि0 18.10.2024

बेसमेंट में कराया जा रहा निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए ने गुरुवार को चौक वार्ड में 5000 वर्ग मीटर के बेसमेंट में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराकर उसे सील कर दिया। इसके अलावा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए द्वितीय तल पर किये जा रहे अवैध निर्माण पर रोक लगा दी गई है। जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति ने बताया अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

दैनिक जागरण –दि0 18.10.2024

दो अवैध निर्माण सील

जासं, वाराणसी : वीडीए ने चौक क्षेत्र में अजय केशरी के निर्माणाधीन बेसमेंट व इसी वार्ड में गोविंदपुरा में कद्दरुदीन निशा बेगम के दूसरे मंजिल पर अवैध निर्माण पर दोनों भवनों को सील कर दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज –दि0 18.10.2024

चौकमें दो निर्माणाधीन भवन सीज

विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर गुरुवार को चौक क्षेत्र में दो नव निर्मित भवन को सील किया गया। चौक वार्ड के सी.के. ५२ /१५ में अजय केशरी नामक भवन स्वामी ने बिना मानचित्र स्वीकृति के पांच हजार वर्ग मीटर पर भवन निर्माण करा रहे थे। इसी प्रकार सी.के. ४३/१३८ गोविन्दपुरा में कदरुद्दीन निशा बेगम भवन स्वामी बिना मानचित्र के निर्माण कार्य करा रहे थे। शिकायत के आधारपर दोनों स्थलों पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति अवर अभियंता रवीन्द्र प्रकाश, क्षेत्रीय थाने की पुलिस और सुपर वाइजर मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांचमें पाया गया कि दोनों भवनों की मानचित्र विचाराधीन भी नहीं है। अवैध निर्माण को लेकर भवन को सीज कर दिया गया। सीज करने के बाद इससे संबंधित थाने के अभिरक्षामें सौंप दिया गया।

न्यायाधीश –दि0 18.10.2024

अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गया।इसके तहत 17 अक्टूबर को वार्ड-चौक सी0 के0 52/15 के अन्तर्गत अजय केशरी द्वारा लगभग 5000 वर्ग मी0 के क्षेत्रफल पर बेसमेंट में निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसकी कोई स्वीकृति नही दिखाई गयी।अतः उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत जोनल अधिकारी द्वारा सील की कार्यवाही की गयी।उक्त के अतिरिक्त वार्ड-चौक सी0 के0 43/138, गोविन्दपुरा के अंतर्गत कद्दरुदीन निशा बेगम द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए द्वितीय तल पर किये जा रहे अवैध निर्माण को जोनल अधिकारी द्वारा सुसंगत धारा के अंतर्गत सील बंद किया गया।इस दौरान जोनल अधिकारी श्री सौरव देव प्रजापति अवर अभियंता श्री रविन्द्र प्रकाश मौजूद रहे।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 18.10.2024

वीडीए ने सील किये अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। चौक वार्ड के अन्तर्गत अजय केशरी द्वारा लगभग 5000 वर्ग मी. के क्षेत्रफल पर बेसमेंट में निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसकी कोई स्वीकृति नहीं दिखाई गयी। अतः उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27, 28 (क) व 28 (ख) के अंतर्गत जोनल अधिकारी द्वारा सील की कार्यवाही की गयी। उक्त के अतिरिक्त वार्ड-चौक गोविंदपुरा के अंतर्गत कद्दरुदीन निशा बेगम द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए द्वितीय तल पर किये जा रहे अवैध निर्माण को जोनल अधिकारी द्वारा सील बंद किया गया।